बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड),
पटना – 800001

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अन्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में निम्नांकित पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र म आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. **विज्ञापन संख्या 05/2012**, पदनाम – व्याख्याता (वस्त्र अभियंत्रण), पद की संख्या – 03 (तीन), अनारक्षित – 01 (एक), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 01 (एक) (बैकलॉग रिक्ति से) एवं पिछड़ा वर्ग – 01 (एक)।
2. **विज्ञापन संख्या 06/2012**, पदनाम – व्याख्याता (सिरामिक्स अभियंत्रण), राजकीय पोलिटेकनिक गुलजारबाग, पटना, पद की संख्या – 02 (दो), अनारक्षित – 01 (एक) एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 01 (एक)।
3. वेतनमान – विज्ञापन संख्या 05/2012 एवं विज्ञापन संख्या 06/2012 के लिए – पे बैन्ड 15600–39100/– एवं ए.जी.पी. 5400/–
4. शैक्षिक योग्यता – विज्ञापन संख्या 05/2012 एवं विज्ञापन संख्या 06/2012 के लिए – इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी स्नातक अथवा समतुल्य डिग्री।

   यदि उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री है तो स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समतुल्य ग्रेड अपेक्षित है।
5. उम्र सीमा – विज्ञापन संख्या 05/2012 एवं विज्ञापन संख्या 06/2012 के लिए – दिनांक 01.08.2011 को अधिकतम, अनारक्षित (पुरूष) – 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित महिला – 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष।

   विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के पत्रांक 352, दिनांक 22.02.2007 के आलोक में राज्य सरकार के अधीनस्थ अभियंत्रण महाविद्यालय अथवा पोलिटेकनिक संस्थानों में वांछित योग्यताधारी अभ्यर्थी जो अंशकालीन व्याख्याता के रूप में काय किए हों, को अंशकालीन व्याख्याता के रूप में कार्यावधि के बराबर उच्चतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

   विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के पत्रांक 2925, दिनांक 13.10.2010 के आलोक में विभागान्तर्गत पोलिटेकनिक संस्थानों में वांछित योग्यताधारी अभ्यर्थी जा विश्व बैंक परियोजना अन्तर्गत पोलिटेकनिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना के अधीन विभागान्तर्गत पोलिटेकनिक संस्थानों में संविदा के आधार पर वर्ष 1996–97 में नियुक्त किए गए हों और वर्ष 2001 में टरमिनेट किए गए हों को संविदा के आधार पर व्याख्याता के रूप में कार्यारत अवधि के बराबर उच्चतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

   कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक – 2374, दिनांक– 16.07.2007 के आलोक मे बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को, जो तीन वर्षो की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05(पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है। साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार क संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगो को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षो की छूट अनुमान्य है।

   कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक – 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03(तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।
6. चयन का आधार – विज्ञापन संख्या 05/2012 एवं विज्ञापन संख्या 06/2012 के लिए – एकेडमिक उपलब्धियों के अंकों तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर चयन किया जाएगा एवं तदनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी ।

   एकेडमिक उपलब्धियों के लिए 80 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 20 अंक निर्धारित किया गया है, जो निम्नवत है–

   एकेडमिक उपलब्धियों के लिए निर्धारित 80 अंको का विभाजन निम्नवत है –

मैट्रिक	–	10 अंक
इन्टरमीडिएट/+2	–	10 अंक
बी.ई./बी.टेक./बी.एससी. इंजी.	–	40 अंक
एम.टेक./एम.एससी. इंजी.	–	10 अंक
पीएच.डी.	–	05 अंक
पब्लिकेशन ऑफ पेपर्स इन नेशनल/इंटरनेशनल जरनल्स	–	05 अंक
कुल	–	80 अंक

नोटः – अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त अंको के प्रतिशत को ऊपर की तालिका में आवंटित अंकों के अनुरूप corresponding शैक्षिक अंको में परिवर्तित किया जाएगा। (Percentage of marks obtained by the candidates in various examinations shall be converted to the corresponding academic marks allotted in the chart as above.)

साक्षात्कार के लिए निर्धारित 20 अंको का विभाजन निम्नवत है –

Assessment of aptitude for Teaching & Research	–	10 अंक
Ability to communicate clearly & effectively	–	05 अंक
Ability to analyse & discuss	–	05 अंक
कुल	–	20 अंक

एकेडमिक उपलब्धियों के लिए निर्धारित 80 अंको के आधार पर साक्षात्कार हेतु रिक्ति/रिक्तियों के पाँच गुणा उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जाएगा।

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निदेश

7. **प्रविष्टिः**

   (i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए–4 आकार (210×297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। आवेदन प्रपत्र चार पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। **निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

   (ii) **आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।**

   (iii) आवेदन पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसे

   (i) **आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्निग्धा, इस प्रकार भरा जाय–** | स्नि | न | ग | धा | |

   (ii) **हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें।**

   (iii) **आवेदन की कंडिका 2(iii) यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।**

   (iv) **आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, पिछड़ा वर्ग के लिये 05 एवं पिछड़े वर्ग की महिला के लिये 06 भरें।**

   उसी प्रकार सभी आयतों को भरें। **अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।**

   (iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (×) कर दें।

   (v) **क्रमांक 8 ''शैक्षिक योग्यता'' के अधीन** 'प्राप्तांक/पूर्णांक' **एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।**

   (vi) स्तम्भ (कॉलम) 12 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

   (vii) स्तम्भ (कॉलम) 13 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (×) कर दें।

8. **फोटोग्राफः**

   आवेदन पत्र के पृष्ठ 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु छोड़ी गयी खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। **फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ।** दोनों फोटो एक ही निगेटिव का होना चाहिए। भविष्य में संबंधित परीक्षा के उपयोग हेतु निगेटिव सुरक्षित रखें। फोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है। **फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटा पर रहे**

9. **लिफाफाः**

   (i) **लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं. एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।**

   (ii) **विहित आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाण पत्र, अंशकालीन व्याख्याता के रूप में कार्य करने का प्रमाण पत्र, संविदा के आधार पर कार्य करने का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र सहित) की स्वप्रमाणित प्रतियां अनिवार्य रूप से अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।**

(iii) **16×10 से॰मी॰ का स्वपता लिखित दो लिफाफा (अनुक्रमांक तथा प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिनपर 25–25 रूपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।**

10. **आरक्षण**:

(i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासो अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं॰ 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति–सह–क्रीमीलेयर में नहीं आने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। **विहित मूल आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी; उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जाति–सह–क्रीमीलेयर में नहीं आने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा, और संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।**

11. **शुल्क**:

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 25/– (पचोस) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 75/– (पचहत्तर) रूपये तथा अन्य के लिए 100/– (एक सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 150/– (एक सौ पचास) रूपये चालान के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करें। उक्त चालान आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। **चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन के साथ निश्चित रूप से संलग्न करें तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखें। इससे भिन्न किसी अन्य रूप में प्राप्त शुल्क स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**

12. **अन्य**:

अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं होगा। अलग–अलग विज्ञापन संख्या के लिए अलग–अलग आवेदन किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार ही शुल्क जमा करना होगा।

13. **अंतिम तिथि**:

(i) **भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि शुक्रवार, दिनांक 07.09.2012 की संध्या 5.00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।**

(ii) **यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन आयोग में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।**

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना